भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2967
गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

2967 श्री संजय सेठः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2026 के मध्य तक देशभर में ई-श्रम पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) ई-श्रम डेटाबेस को सक्रिय राष्ट्रीय रोजगार पोर्टलों के साथ जोड़ने हेतु कौन-कौन से गतिशील एकीकरण संबंधी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों में एकीकृत श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों को ईएसआईसी सुविधाओं सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाने के लिए विस्तार के मापदंड क्या हैं; और

(ङ) नियमित राष्ट्रीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है। और उन्हे स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

31.86 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

जारी...2/-

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में समर्थ बनाता है।

ई-श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हितलाभ और उन तक पहुँच प्रदान करने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-गारंटी फॉर आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी -जी आरएएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई- जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्डधारकों को अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समर्थ बना रहा है।

ई-श्रम पोर्टल को रोजगार के अवसरों के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण, ई-श्रम पर पंजीकृत व्यक्तियों को एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं, जैसे नौकरी की खोज और संबंधित सुविधाओं का लाभ उठाने में समर्थ बनाता है। एनसीएस पोर्टल देश के नौकरी चाहने वालों को रोजगार के अवसर और करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाता है।

भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू किया हैं, जिनके नाम – मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 है। उक्त श्रम संहिताओं के अधीन केंद्रीय नियमों को दिनांक 8 मई, 2026 को अधिसूचित किया गया है।

जारी...3/-

चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी इन श्रम संहिताओं के अधीन नियम बनाने अपेक्षित हैं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पहले ही इस संबंध में कदम उठाए हैं और श्रम संहिताओं के अधीन नियमों को अंतिम रूप दे दिया है या उन्हें प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी है, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगारों' की परिभाषाएँ प्रदान करती है और उनकी सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित विशिष्ट उपबंधो को निर्धारित करती है।

यह संहिता गिग कामगार और प्लेटफ़ॉर्म कामगार के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान भी करती है। इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के कल्याण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये नियम केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर इस संहिता के उपबंधों को क्रियान्वित करते हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) देश में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। पीएलएफएस से बेहतर कवरेज के साथ उच्च आवृत्ति वाले श्रम बाजार संकेतकों की अपेक्षता को पूरा करने के लिए जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के सैंपलिंग डिजाइन में व्यापक सुधार किया गया है।
